is an independent organization which is mandated to look after the safety aspects in its realm. Therefore, the only thing I can do is to request them. Of course, I don't think there are these many coaches which are awaiting; the number may be different. But at the same time, regarding the point that the hon. Member has made that South India should not be discriminated against, I can assure her, it will not happen. I also happen to be a Member of Parliament from Southern India. ...(*Interruptions*.)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, I have got some complaints from passengers from South, especially, Kerala that old and dilapidated coaches are diverted to Kerala-bound trains. ...(*Interruptions*)...

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I will take note of that. ...(*Interruptions*)... Sir, when the Chair itself is pointing out, we will take note of this. We will make sure that Southern India, now, will be taken care of in a more adequate manner. My party has told me to contest from South, probably, for that reason.

ओलावृष्टि के कारण रबी की फसलों को हुआ नुकसान

*212. **श्री नारायण लाल पंचारियाः** क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान में ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने हेतु गठित केंद्रीय दल ने अपने सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने रिपोर्ट के आकलन के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि राज्य सरकार को दे दी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केंद्रीय सरकार से ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई रबी की फसल की भरपाई के लिए 4372 करोड़ रुपयों की मांग की है, यदि हां, तो उपर्युक्त धनराशि कब तक स्वीकृत की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): (क) से (ग) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) राज्य में ओलावृष्टि की स्थिति पर राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 4372.27 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) ने ओलावृष्टि की वजह हुए से नुकसान तथा एनडीआरएफ से केंद्रीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता का जायजा लेने के लिए 28.04.2016 से 01.05.2016 तक राजस्थान का दौरा किया। आईएमसीटी की रिपोर्ट पर यथोचित विचार करके, उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने ओलावृष्टि के कारण राजस्थान सरकार को 79.18 करोड़ रूपए की सहायता मंजूर करने का निर्णय लिया है।

Damage to Rabi crops due to hailstorm

†*212. SHRI NARAYAN LAL PANCHARIYA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether a Central team constituted to assess the damage to the Rabi crop owing to hailstorms has submitted it's report to the Central Government after the survey in Rajasthan;

(b) if so, whether Central Government has provided the amount of compensation to the State Government as per the assessment in the report, if not, the reasons therefor; and

(c) whether Government of Rajasthan has demanded ₹ 4372 crore as compensation for the damages to the Rabi crops because of hailstorms, if so, by when the aforesaid amount will be sanctioned, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Government of Rajasthan submitted a Memorandum seeking financial assistance of ₹ 4372.27 crores from the National Disaster Response Fund (NDRF) in the wake of hailstorm in the State. An Inter Ministerial Central Team (IMCT) constituted by the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (DAC&FW) visited Rajasthan from 28.04.2016 to 01.05.2016 to assess the damage caused by hailstorm and requirement of Central Financial Assistance from NDRF. After giving due consideration to the report of IMCT, High Level Committee (HLC) has decided to approve ₹ 79.18 crores by way of assistance on account of hailstorm to the Government of Rajasthan.

श्री नारायण लाल पंचारियाः सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से राजस्थान में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुक़सान के मुआवजे के बारे में प्रश्न पूछा था। महोदय, राजस्थान के किसानों को कुल 4,372.27 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ और राजस्थान सरकार ने भी नुक़सान की बाबत, पूरा आकलन कर अपनी रिपोर्ट भेजकर 4,372.27 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सहायता के तौर पर 4,372.27 करोड़ रुपये के एवज़ में, मात्र 79.18 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान के किसानों के हालात को देखते हुए क्या सरकार उक्त सहायता राशि में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है?

† Original notice of the question was received in Hindi.

श्री राधा मोहन सिंहः उपसभापति जी, इसके बाद मेरी टीम गई थी और हमारी टीम ने जो सिफारिश की थी, उस पर गृह मंत्रालय के अंदर एचएलसी ने जो निवेदन किया है और जहां तक गृह मंत्रालय से जानकारी मिली है, उसमें जो एग्रीकल्चरल इन-पुट्स हैं, जो एनडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत आते हैं, उसमें 160 करोड़ रुपये की मांग थी। इसमें 78 करोड़ की बात हुई है।

दूसरे, जो मानव व पशु नुक़सान थे, उसके लिए 32 लाख रुपये की मांग की गई थी, तो इसके लिए 32 लाख रुपये की मंजूरी एनडीआरएफ नॉर्म्स के तहत, एचएलसी ने दी है, लेकिन उनकी जो शेष मांग थी, उसका संबंध एनडीआरएफ के नॉर्म्स से नहीं था।

श्री नारायण लाल पंचारियाः उपसभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। सभी को पता है कि राजस्थान में बहुत अकाल पड़ते हैं। अभी हाल ही में कुछ जिलों में अतिवृष्टि हुई है, जिससे किसानों को फसलों में भी लगातार नुक़सान हुआ है और होता भी रहा है। उपसभापति जी, राजस्थान का किसान बहुत ही स्वाभिमानी है। वे राम और राज पर बहुत भरोसा रखते हैं। एक कहावत भी है, राम तो कभी-कभी रूठ जाते हैं, लेकिन राज कभी नहीं रूठता। इसीलिए वह कभी भी आत्महत्या नहीं करता। उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को प्रति हैक्टेयर दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? हां, हाल ही में कुछ राशि अवश्य बढ़ाई है, लेकिन वह बहुत कम है। क्या सरकार की उस राशि को बढ़ाने की कोई योजना है?

श्री राधा मोहन सिंहः उपसभापति जी, मोदी सरकार के आने के बाद, पिछले वर्ष एनडीआरएफ के नॉर्म्स में परिवर्तन किया गया था। उसके बाद राजस्थान को 2015-16 में 1,133 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। वहां का जो एसटीआरएफ फंड है, इस फंड में भी जो राशि पहले जाती थी, उस राशि को और उन नॉर्म्स को भी बढ़ा दिया गया है।

श्री प्रताप सिंह बाजवाः उपसभापति महोदय, एक बहुत ही relevant सवाल हमारे राजस्थान के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने किया है। मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ खींचना है कि हिन्दुस्तान में 65 से 70 फ़ीसदी लोग एग्रीकल्चर-बेस्ड हैं। बीजेपी का जो इलेक्शन मेनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम सभी किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस देंगे। मेरी विशेष तौर पर मांग है कि पंजाब में भी बरसातों की वजह से खरीफ क्रॉप, व्हीट क्रॉप को बहुत ज्यादा नुक़सान होता रहता है। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई डेट, कोई टाइम तय कर पाएंगे कि आप हिन्दुस्तान के सारे किसानों को कब तक क्रॉप इंश्यारेंस कवर दे पाएंगे?

श्री राधा मोहन सिंहः उपसभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि क्रॉप इंश्योरेंस रबी और खरीफ की फसल में होता है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खरीफ की फसल में एक इंश्योरेंस योजना, "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" प्रारंभ हो गई है। देश के 22 राज्यों ने बड़ी तेजी से इस काम को प्रारंभ कर दिया है। खरीफ की फ़सल के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि थी, अब इसको बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। परसों हमने राज्यों से बात की थी, उसमें तीन-चार राज्य तो ऐसे हैं, जिन्होंने तीन-चार दिन पहले ही, गत वर्ष जितने किसानों का इंश्योरेंस किया था, उससे ज्यादा किसानों का इंश्योरेंस कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि 10 अगस्त तक किसानों का जो क्रॉप इंश्योरेंस होगा, वह पिछले वर्ष के किसानों की तुलना में ज्यादा होगा।

श्री राम नारायण डूडीः उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पिछला फसल आपदा मुआवजा slab था, उसमें फसल नुकसान की भरपाई के लिए बहुत ही कम मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से पिछली बार से मुआवजा बढ़ा है। फिर भी मैं राजस्थान के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। हमारे राजस्थान में 2015 में खरीफ फसल में करीब 20 जिलों के अन्दर सूखा पड़ा था, जिससे काश्तकारों का करीब 39 लाख 80 हजार हेक्टेयर में 33 परसेंट से ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ। उसका आकलन राजस्थान सरकार ने किया था और राजस्थान ने इन जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया था। राजस्थान सरकार ने इस नुकसान के लिए करीब 10,537 करोड़ रुपए की सहायता के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जबकि भारत सरकार ने इसके लिए केवल 1,193 करोड़ रुपए ही भरपाई के तौर पर दिए। यह तो खरीफ का नुकसान था।

श्री उपसभापतिः आप प्रश्न पूछिए।

श्री राम नारायण डूडीः उपसभापति महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। जब रबी के नुकसान का आकलन किया गया, तो राजस्थान में ओलावृष्टि से करीब 15 जिलों के अन्दर 657 गांवों में 1 लाख 36 हजार हेक्टेयर जमीन में नुकसान हुआ, लोगों की फसलें खराब हुईं। मोटे तौर पर जो आकलन किया गया, वह करीब 4,372 करोड़ रुपए था, जिसकी जगह केंद्र सरकार ने केवल 79.18 करोड़ रुपए ही दिए।

श्री उपसभापतिः आप प्रश्न पूछिए।

श्री राम नारायण डूडीः मैं सरकार से यह कहना चाहूँगा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, राजस्थान हिन्दुस्तान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है।

श्री उपसभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्री राम नारायण डूडीः उपसभापति महोदय, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। क्या केंद्र सरकार राजस्थान राज्य में बार-बार पड़ने वाले अकाल, ओलावृष्टि, सूखे व वहां के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए उसे विशेष राज्य की श्रेणी के समान अतिरिक्त धनराशि देने का विचार रखती है? मेरा दूसरा सवाल है।

श्री उपसभापतिः एक ही सवाल हो सकता है।

श्री राम नारायण डूडीः वर्तमान में मानसून के दौरान पश्चिमी राजस्थान में काफी कम वर्षा हुई है, तो संभावित सूखे को देखते हुए केंद्र ने क्या कदम उठाए हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ? क्या केंद्र सरकार ओलावृष्टि की वजह से पशुओं, जैसे भेड़, बकरी, गाय आदि को उनकी वास्तविक क्षति से होने वाली पशुहानि के आधार पर क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है?

श्री उपसभापतिः आपने तो एक स्टेटमेंट ही दे दिया।

श्री राम नारायण डूडीः सर, यह हमारा प्रश्न है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः सर, राष्ट्रीय आपदा कोष के जो norms हैं, उन्हीं के आधार पर राजस्थान या किसी राज्य को सहायता दी जाती है। जहाँ तक पश्चिमी राजस्थान का सवाल है, जब हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई memorandum आएगा, तो तुरंत हमारी टीम वहां जाएगी और जो norms हैं, उनके मुताबिक निश्चित रूप से सहायता की जाएगी।

श्री उपसभापतिः श्री पी. एल. पुनिया। ...(**व्यवधान**)... पुनिया जी, आप बोलिए।

श्री पी .एल. पुनियाः माननीय उपसभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। NDRF के कुछ नॉर्म्स हैं। राजस्थान और बाकी प्रदेशों में बेमौसम की तेज बारिश से जो नुकसान होता है, केंद्र सरकार की जो अधिसूचित आपदा सूची है, उसमें बेमौसम की बरसात से हुआ नुकसान शामिल नहीं है। क्या आप इसको भी उस सूची में सम्मिलित करके ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे?

श्री राधा मोहन सिंहः राष्ट्रीय आपदा की जो सूची थी, उसमें अतिवृष्टि पहले भी शामिल नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद एक परिवर्तन यह किया गया कि राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया कि अतिवृष्टि के अलावा भी, यदि कोई स्थानीय आपदा है, तो कैबिनेट बैठ कर उसको नोटिफाई कर सकती है और उसमें भी राष्ट्रीय आपदा के नॉर्म्स के मुताबिक सहायता की जा सकती है।

Disbursing compensation to kin of farmers

*213. SHRI ANIL DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is showing laxity in disbursing compensation to the kin of farmers who committed suicide due to distress in agriculture sector, if so, the details thereof, State-wise; and

(b) by when Government would disburse compensation to the kin of farmers through State Governments?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Disbursement of compensation to the kin of farmers who committed suicide due to distress in agriculture sector is not covered under any specific program of Government of India. However, Agriculture, including agricultural indebtedness, being a State subject, the State Governments take appropriate measures for development of agriculture in the State, including payment of compensation to the bereaved families of suicide victims. Some of the State Governments *viz.* Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab, Karnataka etc. are administering schemes, which include payment of compensation/relief to kin of farmers who committed suicide due to distress in agriculture sector. The information has been sought from all States on the question. As reported by Government of Maharashtra, there is no laxity in payment of compensation. Government of Uttarakhand has reported that no suicide case of farmer is reported in the State. Government of Andhra Pradesh replied that